चिंता से मुक्ति

राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय
**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**
**IIIrd Floor, RSIC wing, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर**
दूरभाष–0141–2385887 फैक्स–0141–2385778
**E-Mail.: smc-raj@esic.nic.in**
**Website- www.esicrajasthan.com**
**(An ISO 9001: 2000 Certified Office)**

संख्याः 15–यू–11/टाइ–अप(सु.स्पे.)/एसएमसी/2011 दिनांक 31.03.2011

# परिपत्र

**विषयः Super Speciality Treatment के तहत टाइ–अप (Tie up) व्यवस्था बाबत।**

मुख्यालय, कराबी निगम, नई दिल्ली के पत्र संख्याः V-24/11/ 10/04- Med-1 dated 23-03-09 के अनुसरण राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदय ने राजस्थान क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत **लाभार्थियों (Beneficiaries) तथा** पत्र सं. D-12/1/ 4/2001 E. IV dated 13.09.2010 के अनुसार राजस्थान क्षेत्र के **ESIC Employees and their dependants व Pensioners and their dependants** के लिए निम्न विवरणानुसार प्राईवेट अस्पताल से अति विशिष्ट उपचार/डाइग्नोस्टिक हेतु टाइ अप (Tie up) व्यवस्था एक वर्ष के लिए **राशि रहित (Cash less)** की गई हैः–

| Sl. No. | Centre | Name of Institution/ Hospital & Address | Tie up Period | Services Provided |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | JAIPUR | NARAYANA HRUDAYALAYA HOSPITAL,<br>Sector-28, Pratap Nagar, Sanganer,<br>Jaipur-302033 | 01.04.2011 to 31.03.2012 | 1 Super Specialized Cardiology<br>2 Cardio Surgery<br>3 Cardio Vascular Surgery<br>4 Cardio Thorosic Surgery<br>5 Super Specialized Investigations & procedures in Cardiology:-<br>6 Nephrology<br>7 Dialysis<br>8 Super Specialized Gastro Enterology<br>9 Super Specialized Gastro Intestinal Surgery<br>10 Spinal Surgery, Open, Minimal Invasive Surgery and Endoscopic Spinal Surgeries<br>11 Joint Replacement Surgery<br>12 Super Specialised Reimplantation of Limbs (Micro Vascular Surgery)<br>13 Arthroscopy & Arthroscopic Surgeries & Sports Medicine<br>14 Plastic Surgery |

इस कार्यालय के पत्र संख्याः 15/यू/11/क्षे.का./एसएमसी/08 दिनांक 29.04.2009 एवं परिपत्र सं. 15–यू–11/टाइ–अप (सु.स्पे.)/एसएमसी/09 दिनांक 17.06.2009, 04.08.2009, 10.9.2009, 28.7. 2010 व 15.10.2010 के द्वारा पूर्ण प्रक्रिया दर्शायी जा चुकी है, फिर भी उक्त पत्र के तारतम्य में उक्त सुविधा का लाभ लेने के लिए पुनः प्रक्रिया निम्नप्रकार से दर्शायी जा रही हैः–

1. मरीज को चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय–जयपुर, चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय– भिवाडी, ,चिकित्सा अधीक्षक– कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जोधपुर/कोटा/भीलवाडा एवं पाली एवं DMHS के पत्र संख्याः प 211/जी–3/स.अ./ईएसआई/10/647–716 दिनांक 2.3.2010 (फोटो प्रति संलग्न) व प 211/जी–3/स.अ./ईएसआई/10/1572–76 दिनांक 15.4.2010 (फोटो प्रति संलग्न) द्वारा अधिकृत कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, राज. क्षेत्र द्वारा रेफर (Refer) किया जाएगा।
2. विशेषज्ञ द्वारा बीमारी एवं संबंधित सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट/डाइग्नोस्टिक का सम्पूर्ण विवरण दिया जाना अपेक्षित है जिसके आधार पर मरीजों को टाइ अप किये गये अस्पतालों एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर को रेफर (Refer) किया जाएगा।
3. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम/योजना व अधिकृत कराबी औषधालयों के बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) द्वारा अति विशिष्ट उपचार हेतु मरीज को टाइ अप किये गये अस्पतालों एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर को **तभी रेफर किया जा सकेगा**, जब वे **अति विशिष्ट उपचार हेतु पात्रता की शर्त पूरा करते हों।**

**4-** उक्त वर्णित टाइ अप अस्पताल **(**NARAYANA HRUDAYALAYA HOSPITAL, Jaipur) द्वारा **मरीज से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा**। यह व्यवस्था **राशि रहित (Cash less)** होगी।

5. उक्त वर्णित अस्पताल से टाइ अप उपर्युक्त वर्णित सूची के कॉलम सं. 5 में वर्णित अति विशिष्ट उपचारों **Super Speciality Treatment** के लिए एक वर्ष के लिए किये गये एग्रिमेन्ट दिनांक 31. 03.2011 में वर्णित शर्तो के अनुसार किया गया है।

6. **मरीज के इलाज का बिल भुगतान प्रकिया –** बिलों का भुगतान CGHS दरों या संबंधित टाइ अप द्वारा जारी दरों, दोनों में से जो भी कम हो पर देय होगी। यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय, जयपुर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय– भिवाडी, द्वारा मरीज को टाई अप अस्पताल में रेफर किया गया हो तो बिल आवश्यक सभी मूल कागजातों सहित इन्हीं **कराबी निगम चिकित्सालयों** को ही भुगतान हेतु दो प्रतियों में भेजे। शेष सभी चिकित्सा अधीक्षक, ईएसआई अस्पताल, कोटा, भीलवाडा, पाली, जोधपुर तथा DMHS द्वारा अधिकृत कराबी औषधालयों (सूची संलग्न) से टाई अप अस्पतालों में भेजे गये मरीज का बिल आवश्यक सभी मूल कागजातों सहित दो प्रतियों में सीधे ही **राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, जयपुर** के उपर्युक्त वर्णित पते पर भेजा जाना है।

7. कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी व उनके आश्रितों को कराबी निगम मॉडल चिकित्सालय, जयपुर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय– भिवाडी अथवा राज्य चिकित्सा आयुक्त, जयपुर के द्वारा रेफर किया जाएगा तथा आपातकालीन स्थिति में **ESIC Staff** द्वारा टाई अप अस्पताल में मेडिकल कार्ड/आईडेन्टी प्रुफ प्रस्तुत किये जाने पर ईलाज लिया जा सकेगा, जिसकी सूचना तुरन्त कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी व राज्य चिकित्सा आयुक्त को दी जाएगी।

8. मुख्यालय के पत्र संख्याः U/16/12/5/2005/orissa/M-III दिनांक 15.1.2010 (फोटो प्रति संलग्न) द्वारा संबंधित कराबी चिकित्सालयों/औषधालयों द्वारा रोगियों (बीमितों) को अन्तर्क्षेत्रीय टाई अप अस्पतालों में राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, जयपुर के मार्फ़त भेजा जा सकेगा।

**(वी. के. गोयल)**
**उप निदेशक (प्रशासन)**

**संबंधित टाई अप अस्पताल।**

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. चिकित्सा आयुक्त (मेड. II), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली।
2. प्रमुख शासन सचिव (श्रम एवं नियोजन ) शासन सचिवालय, राज. सरकार, जयपुर।
3. क्षेत्रीय निदेशक, क्षे.का., कराबी निगम, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइ अप संबंधी सूचना सभी संबंधितों की जानकारी में लाने का श्रम करें।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइ अप संबंधी सूचना सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी),/अधिकृत बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, राजस्थान क्षेत्र की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें। साथ ही बीमितों/अन्य की जानकारी हेतु सूचना की एक प्रति सभी संबंधितों को नोटिस बोर्ड पर लगाने बाबत आवश्यक निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें।
5. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय, अजमेर रोड, जयपुर
6. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, प्लाट नं. 1202, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज–3, सेक्टर–29, भिवाडी– 301019
7. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कोटा/भीलवाडा/जोधपुर/पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), डिवीजनल कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जोधपुर।
10. श्री . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . (सदस्य, क्षेत्रीय परिषद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राज. क्षेत्र)
11. वित्त एव लेखा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर
12. क्षेत्रीय निदेशक (प्रशासन), क्षे. का. जयपुर को **उक्त सूचना राजस्थान की वेबसाईट www.esicrajasthan.com** पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित है।
13. शाखाधिकारी (पी. आर.) क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
14. सभी अधिकारी/शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
15. सभी शाखा प्रबंधक, कराबी निगम, राजस्थान क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त विवरणानुसार टाइ अप किये अस्पताल के संबंध में सूचना आपके केन्द्र पर गठित स्थानीय समिति के सभी माननीय सदस्यों/ नियोजकों/एम्पलायर एसोसियशन/ट्रेड यूनियनों एवं सभी संबंधितों की जानकारी में लावे एवं बीमितों की जानकारी हेतु उक्त सूचना की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाना सुनिश्चित करें।
16. सूचना पट्ट
17. गार्ड फाईल।
18. एक प्रति वैबसाईट पत्रावली।